

**मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग**

**निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र**

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम—.....
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम—.....
माता का नाम.....
3. स्थायी निवास का पूरा पता(मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
.....
.....
4. निःशक्तता का प्रकार(निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
5. अभ्यर्थी की जन्मतिथि—.....
6. अभ्यर्थी के सिविल सेवा में सफल होने का विवरण—
 - (1) संघ लोक आयोग/म.प्र. लोक आयोग का नाम.....
 - (2) अभ्यर्थी का अनुक्रमांक.....(प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करें)
 - (3) **परीक्षा का स्तर—**
 - (I) प्रारंभिक परीक्षा की तिथि.....
 - (II) प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि.....
 - (III) प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का आयोग का पत्र दिनांक.....
(आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति संलग्न करें।)
 - (IV) मुख्य परीक्षा की तिथि.....
 - (V) मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि.....
 - (VI) मुख्य परीक्षा में सफल होने का आयोग का पत्र दिनांक.....
(आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति संलग्न करें।)
 - (VII) सिविल सेवा में अंतिम चयन के परिणाम घोषित होने का दिनांक..
 - (VIII) सिविल सेवा में अंतिम चयन में चयनित पद का नाम.....
(आयोग के पत्र की प्रति संलग्न करें।)
7. अभ्यर्थी का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें—.....
.....
8. अभ्यर्थी का धर्म—.....

विकलांगता
दर्शाता अभ्यर्थी
का नवीनत
फोटो

नोट- प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर के लिये अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अपने जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र. को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा।

सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि का लाभ मेरे द्वारा इस स्तर की परीक्षा के लिये प्रथम बार ही लिया जा रहा है।

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण-

(1).....(2).....(3).....
(4).....(5).....(6).....

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी/.....आत्मज श्री/श्रीमती.....द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/अंतिम चयनमें सफल हुआ है, उक्त परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि रूपये(शब्दों में रूपये) का प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक.....को चैक क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा राशि का भुगतान किया गया है।

स्थान-
दिनांक

हस्तक्षर, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय,
जिला.....
मध्यप्रदेश